

पत्रांक 15/सी 3-22/2015 -735

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

Fax

प्रेषक,

शिवेश रंजन  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

कुलसचिव,  
राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 7/4/2015

विषय:- श्री संजय कुमार सिंह- 02, स0वि0प0 द्वारा बिहार विधान परिषद के 179वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ई 08 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बिहार विधान परिषद सचिवालय से प्राप्त प्रश्न की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रश्न में वर्णित तथ्यों के आलोक में कड़िका क, ख एवं ग के आलोक प्रश्नोत्तर सामग्री एवं यथा आवश्यक पूरक सामग्री विशेष दूत/फैक्स के माध्यम से 24 घंटे के अंदर विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

*(शिवेश रंजन)*

(शिवेश रंजन) 7/4/15

विशेष कार्य पदाधिकारी

	बिहार विधान परिषद् के 179 वें सत्र के लिए श्री संजय कुमार सिंह-11स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या ई0-08	माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार का उत्तर
	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	
(क)	क्या यह सही है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के तहत विश्वविद्यालय परिनियम संख्या-बी०एस०यू०/25/84-3965 जी०एस० (1) दिनांक-20.12.86 के कडिका-2(सी) में कुलपति की अध्यक्षता में वरीयता निर्धारण एवं वेतन निर्धारण हेतु समिति के गठन का प्रावधान है.	
(ख)	क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय कर्मियों, शिक्षक, पदाधिकारी, शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन निर्धारण का अधिकार उपर्युक्त परिनियमित वरीयता निर्धारण सह वेतन निर्धारण समिति को ही है.	
(ग)	क्या यह सही है कि मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग ने ज्ञापांक-1/93-221/06 उ0शि0 586 दिनांक-19.04.06 द्वारा विश्वविद्यालयों को निर्देशित भी किया है कि विश्वविद्यालय परिनियमित वरीयता सह वेतन निर्धारण समिति से ही विश्वविद्यालय कर्मियों का वेतन निर्धारण कराना वैधानिक है.	
(घ)	क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के विरुद्ध पत्रांक-15/पी0-01/13-752 दिनांक-03.04.2013 द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत, सेवानिवृत्त शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन सत्यापन हेतु वेतन सत्यापन कोषांग का गठन किया गया है.	
(ङ)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार वेतन सत्यापन कोषांग जो विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के विरुद्ध कार्यरत है, को भंग करने का विचार रखती है ? यदि हाँ तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?	